न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–डॉ. कृति व्यास, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या वाद–1381 / 2018

अनवान

तेजमल भील पिता काना भील उम्र 65 वर्ष पेशा काश्त निवासी सेमलिया कुण्डाल तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

.....वादी

बनाम

1. भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. श्रीमान उपवन संरक्षक महोदय, (डी.एफ.ओ.) वन विभाग चितौडगढ़ राजस्थान।
3. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ़ राजस्थान।
4. क्वंरा पिता भज्जा भील निवासी बना का खेडा कुण्डाल तहसील रावतभाटा।
5. नन्दा पिता भज्जा भील निवासी बना का खेडा कुण्डाल तहसील रावतभाटा।
6. तेजमल पिता पेमा भील निवासी बना का खेडा रतन लाल पिता चतर्भुज भील निवासी बना का खेडा कुण्डाल तहसील रावतभाटा।,
7. देवीलाल पिता पेमा भील निवासी बना का खेडा कुण्डाल तहसील रावतभाटा।
8. हीरा पिता भज्जा भील निवासी बना का खेडा तहसील रावतभाटा।

.....प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा.दी.

उपस्थित–श्री आजाद हुसैन अभिभाषक वादी
अपार्थी संख्या 02 श्री पराग त्रिपाठी अभिभाषक प्रतिवादीगण।
अप्रार्थी संख्या 01 पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक– 19.03.2026

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रकरण संख्या 1381 / 2018 तेजमल बनाम भूमिधारी तहसीलदार वगैरा में दिनांक 16.03.2026 को प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा माननीय आप में वादी तेजमल भील ने दिनांक 16.08.2018 को उक्त अनवान का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कियास था, जिसमें कार्यवाही विचाराधीन होकर मामला रिपोर्ट पटवारी प्रस्तुत होने के लिए दिनांक 03.07. 2025 को मुकर्रर है। मामले हाजा में प्रतिवादीगण का जवाब प्रस्तुत हो चुका है और रिपोर्ट पटवारी भी प्राप्त हो चुकी है, परन्तु रिपोर्ट पटवारी स्पष्ट नहीं होने के कारण दोबारा स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पटवारी हल्का को आदेशित किया गया है। वाद पत्र में कुछ बडी कानूनी खामिया है, जिस कारण वादी प्रार्थी को यह महसूस होता है कि वर्तमान में चल रहे वाद में वादी प्रार्थी को समुचित न्याय नहीं मिल सकेगा, इसलिए इस वाद को वादी प्रार्थी विड्रो (प्रत्याहरण) कर नया वाद प्रस्तुत करना चाहता है। वादी प्रार्थी को वन विभाग वन खण्ड मातासरा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रताडित किया जा रहा है और उसे बेदखल कराने के लिए रोजाना वन विभाग वन खण्ड मातासरा के कर्मचारियों द्वारा धमकियाँ दी जा रही है और वादी प्रार्थी को इस बात की पूरी आशंका है, कि कभी भी वादी को वन विभाग के कर्मचारी बल पूर्वक बेदखल कर उसके कानूनी अधिकारों से वंचित कर देगे इसलिए उनके विरूद्ध स्थाई एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। प्रस्तुत विचाराधीन वाद में वादी प्रार्थी द्वारा धारा 88 रा0टी0एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार के लिये वाद पत्र में अंकन करना रह गया है, और वादी विवादित भूमि पर अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा कराना चाहता है। सम्वत् 2057–60 में विवादित भूमि खसरा संख्या 05 मिन रकबा 0.65है0 लगानी 2.25 रू का खातेदार काश्तकार खतोनी 24 में दर्ज किया गया है, जो भू–आवंटन के समय से ही खातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा था, परन्तु सेटलमेंट के समय सेटलमेंट के अमीनों द्वारा लापरवाही पूर्वक सर्वे कर और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर वादी प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, मौके पर आज भी वादी प्रार्थी

का कब्जा काश्त चला आ रहा है, वन विभाग के अधिकारी राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर वादी प्रार्थी को बेदखल कर उसके अधिकारो से वंचित कर देना चाहते है, इसलिए वादी प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा करना एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है, इन दोनो की कारणों से वादी प्रार्थी अपने वाद का प्रत्याहरण (विड्रो) कर नया वाद प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता है। अंत मे प्रार्थी वादी द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र वादी प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वादी को उपरोक्त वर्णित वाद का प्रत्याहरण करने (विड्रो) करने की इजाजत फरमाई जावें।

प्रार्थना–पत्र में वकील अप्रार्थी संख्या 02 व पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा जवाब प्रस्तुत करने से इन्कार कर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 जा0दी0 किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गयी। प्रार्थी ने ग्राम सेमलिया प0ह0 रेनखेडा तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत 2057–60 की खतोनी संख्या 24 में खसरा संख्या 05 रकबा 0.65है0 दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी की खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड थी, जो भू–आवंटन के समय से ही खातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा था, परन्तु सेटलमेंट के समय सेटलमेंट के अमीनों द्वारा लापरवाही पूर्वक सर्वे कर और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर वादी प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, मौके पर आज भी वादी प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, वन विभाग के अधिकारी राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर वादी प्रार्थी को बेदखल कर उसके अधिकारो से वंचित कर देना चाहते है, इसलिए वादी प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा करना एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है, इन दोनो की कारणों से वादी प्रार्थी अपने वाद का प्रत्याहरण (विड्रो) कर नया वाद प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता है। वकील अप्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व बहस पर किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया गया।

वादी/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऐसी प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटियां (procedural and legal defects) विद्यमान हैं, जिनके कारण वाद/प्रार्थना पत्र का गुण–दोष के आधार पर निर्णय किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को वापस लेने की अनुमति प्रदान कर, नवीन वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण से यह परिलक्षित होता है कि विवादित आराजीयात में प्रार्थी द्वारा सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा प्रार्थी को आवंटित भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गई है, प्रार्थी वन विभाग के खसरा संख्या 11 में से 0.65है0 भूमि को अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड कराना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व बहस के दौरान धारा–88 रा0टी0एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार के लिये न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करने की इजाजत चाही गई है, इसलिए प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे. एक्ट को विड्रो कर नया वाद पेश करने की अनुमति देने का निवेदन किया है। वाद की वर्तमान संरचना में इन त्रुटियों का सुधार इस स्तर पर संभव नहीं है। उक्त त्रुटियां वाद के गुण–दोष से संबंधित न होकर औपचारिक/प्रक्रियात्मक त्रुटियां (formal defects) हैं, जिनके रहते वाद का प्रभावी एवं न्यायोचित निराकरण संभव नहीं है। न्यायालय यह भी पाता है कि यदि वादी/प्रार्थी को वाद/प्रार्थना पत्र वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उसे अपूरणीय क्षति (irreparable loss) हो सकती है तथा न्यायहित (interest of justice) प्रभावित होगा।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह मामला Order 23 Rule 1 CPC के अंतर्गत आता है, जिसमें वादी को वाद वापस लेकर पुनः वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

अतः वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2018 को Order 23 Rule 1 CPC के अंतर्गत वापस लिया हुआ मानते हुए निरस्त (dismissed as withdrawn) किया जाता है तथा वादी को उसी विषय वस्तु पर नया वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता (liberty to file fresh suit) प्रदान की जाती है

आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा